रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082023-248062
CG-DL-E-12082023-248062

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2023/श्रावण 20, 1945
No. 576] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2023/SHRAVANA 20, 1945

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

**सं. एल–1/250/2019/केविविआ.**—चूंकि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 (इसके बाद 'मूल विनियम') को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग-III खण्ड–4, संख्या 243) में दिनांक 01.07.2020 को प्रकाशित किया गया था।

चूंकि, मूल विनियम भारत के असाधारण राजपत्र (भाग-III खण्ड–4, संख्या 346) में दिनांक 31.08.2020 की अधिसूचना के अनुसार 01.11.2020 से प्रभावी हो गए थे।

चूंकि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 (इसके बाद 'प्रथम संशोधन विनियम') को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग-III खण्ड–4, संख्या 149) में दिनांक 01.03.2023 को प्रकाशित किया गया था।

चूंकि, प्रथम संशोधन विनियमों के विनियम 1 के खण्ड (2) में उपबंध है कि ये विनियम आयोग द्वारा यथाअधिसूचित तारीख से प्रवृत्त होंगे।

और इसलिए, यह अधिसूचित किया जाता है कि

क) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 दिनांक 01.10.2023 से प्रभावी होंगे।

ख) अक्तूबर 2023 की बिलिंग अवधि के लिए अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की बिलिंग, संग्रहण और संवितरण को प्रथम संशोधन विनियमों द्वारा यथासंशोधित मूल विनियमों के अनुसार दिसंबर 2023 के बिलिंग माह में किया जाएगा और परवर्ती बिलिंग अवधि के लिए प्रक्रिया का तदनुसार अनुपालन किया जाएगा।

ग) अगस्त 2023 और सितंबर 2023 की बिलिंग अवधि के लिए अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की बिलिंग, संग्रहण और संवितरण को दिनांक 01.07.2020 को अधिसूचित मूल विनियम के प्रावधानों के अनुसार, क्रमशः अक्तूबर 2023 और नवंबर 2023 के बिलिंग माह में किया जाएगा।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

विज्ञापन III/4/असा./358/2023-24,

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2023

**No. L-1/250/2019/CERC.—**Whereas, the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020 (herein after 'Principal Regulations') was published on 01.07.2020 in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 243);

Whereas, the Principal Regulations were made effective from 01.11.2020 as per the notification dated 31.08.2020 published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 346);

Whereas, the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) ( First Amendment) Regulations, 2023 (herein after 'First Amendment Regulations') was published on 01.03.2023, in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 149);

Whereas, the Clause (2) of Regulation 1 of the First Amendment Regulations provides that these regulations shall come into effect from the date as notified by the Commission;

And now, therefore, it is notified that:

a) The Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) ( First Amendment) Regulations,2023 shall come into force with effect from 01.10.2023;

b) The Billing, Collection and disbursement of the inter-State transmission charges and losses for the billing period of October 2023 shall be undertaken in the billing month of December 2023 in accordance with the Principal Regulations as amended by First Amendment Regulations and the process for the subsequent billing period shall be followed accordingly;

c) The Billing, Collection and disbursement of the inter-State transmission charges and losses for the billing period of August 2023 and September 2023 shall be undertaken in the billing months of October 2023 and November 2023 respectively, in accordance with the provisions of the Principal Regulations notified on 01.07.2020.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./358/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.